**विवरण**

| राज्य | 30-4-1973 तक प्राप्त आवेदन पत्र | स्वीकृत आवेदन पत्र |
|---|---|---|
| मिजोरम | | 2 |
| मैसूर | 9,250 | 1,749 |
| नागालैण्ड | 2 | — |
| उड़ीसा | 3,909 | 1,507 |
| पांडिचेरी | 387 | 147 |
| पंजाब | 10,934 | 1,621 |
| राजस्थान | 1,696 | 220 |
| तमिलनाडु | 10,085 | 1,872 |
| त्रिपुरा | 900 | 83 |
| उत्तर प्रदेश | 19,292 | 5,917 |
| पश्चिम बंगाल | 14,631 | 3,210 |
| जोड़ | 1,32,178 | 32,163 |

**Utilisation of Capacity of Gouripur Container and Closure, Naihati (West Ben-Bengal)**

9800. PROF. MOHAMMAD ISMAIL: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state: what steps have been taken by Government to use the full production capacity of the Gouripur Container and Closure (Naihati, District-24-Parganas) after its take-over by them?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): The order for taking over the management of Messrs Containers and Closures Limited, Calcutta, was issued on 29-11-72, and its management was actually taken over on 4-12-72. The Industrial Reconstruction Corporation of India was appointed as its "authorised person". Till 9-2-73, arrangements were made for putting the plant and machinery in shape. Organisational positions to run the factory and the office were filled up. Actual production started only from 11-2-73, and has been gradually increasing. Efforts are continuing to obtain more raw materials so that production in the different shops starts and increases. Efforts are also being made to improve the order-book position.

**आकाशवाणी के रांची केन्द्र के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष**

9801. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के रांची केन्द्र की कार्यप्रणाली को लेकर वहां के कर्मचारियों में घोर असन्तोष है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उनके पास बार-बार ज्ञापन भेजे गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). केन्द्र निदेशक के विरुद्ध शिकायतें, जिनमें भ्रष्टाचार तथा दुर्व्यवहार के आरोप थे, प्राप्त हुई। इनकी जांच की जा रही है ।

**संसद्-सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना**

9802. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री संसद्-सदस्यों और राज्य-विधान मंडलों के सदस्यों में स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिए जाने के बारे में 21 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिन्होंने पेंशन के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) अब तक 13 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। ये सब संसद सदस्यों के हैं। उनके नामों तथा राज्यों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस आशय की घोषणा के तुरन्त बाद कि उनकी वार्षिक आय 5000 रुपये से कम हो गई है, इन सभी मामलों में तथा इसके बाद के ऐसे मामलों में पेंशन स्वीकृत की जाएगी। किन्तु यह तभी हो सकता है जबकि वे पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हों।

**विवरण**

| नाम | राज्य |
|---|---|
| 1. श्री एस० बी० गीरी, संसद सदस्य (लोक सभा) | आन्ध्र प्रदेश |
| 2. श्री भोला प्रसाद, संसद सदस्य (राज्य सभा) | बिहार |
| 3. श्री राम अवतार शास्त्री संसद सदस्य (लोक सभा) | बिहार |
| 4. श्री बालाचन्द्रा मैनन संसद सदस्य (राज्य सभा) | केरल |
| 5. श्री गंगाचरण दीक्षित संसद सदस्य (लोक सभा) | मध्य प्रदेश |
| 6. श्री जगननाथ राव जोशी, संसद सदस्य (लोक सभा) | मध्य प्रदेश |
| 7. श्री टी० डी० कम्बले संसद सदस्य (लोक सभा) | महाराष्ट्र |
| 8. श्री के० वालाधानधयोथम संसद सदस्य (लोक सभा) | तमिल नाडु |
| 9. श्री एम० कल्याणसुन्दरन संसद सदस्य (लोक सभा) | तमिल नाडु |
| 10. श्री एन० के० कृष्णन संसद सदस्य (राज्य सभा) | तमिल नाडु |
| 11. श्री अन्नत प्रसाद धूसिया संस सदस्य (लोक सभा) | उत्तर प्रदेश |
| 12. श्री दभूपेश गुप्त संसद सदस्य (राज्य सभा) | पश्चिम बंगाल |
| 13. डा० रानेन सेन, संसद सदस्य (लोक सभा) | पश्चिम बंगाल |

**सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति**

9803. **श्री धनशाह प्रधान :**
**श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उन के मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में राजपत्रित तथा अन्य पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) विशेषत: इन जातियों के अधिक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त किये जाने के विचार से इस प्रकार के बलों में चयन प्रणाली क्या है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (ख). सूचना सहज उपलब्ध नहीं है, एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**Demolition of unauthorised Jhuggis in Malviya Nagar**

9804. SHRI AMBESH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Lt. Governor, Delhi had received an application signed by Shri Girraj Prasad Garg and others in respect of the construction of unauthoristd jhuggis on the Government land near Block 'F' in Malviya Nagar, New Delhi;

(b) where the S.H.O. Malviya Nagar S.P., South Delhi received the above complaint but did nothing; and

(c) if so, the action taken to demolish the unauthorised jhuggis?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) Yes, Sir.

(b) The S.H.O., Malviya Nagar and S.P., South Delhi received the complaint and enquiries were made.

(c) The matter is under consideration of the Delhi Development Authority.